Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास भोपाल

दूरभाष : 0755 2553448, Email ID:-mpkvibskill@gmail.com

कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम

आवेदन फार्म का मूल्य	रू. 1000/- (एक हजार रूपये मात्र)
आवेदन फार्म विक्रय की तिथि व समय	दिनांक 09/07/2024 प्रातः 10.00 बजे से
आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 23/07/2024 सायंकाल 6:00 बजे तक
अमानत राशि	रू. 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)

Scanned with CamScanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास भोपाल
दूरभाष : 0755 2553448, Email ID:-mpkvibskill@gmail.com

कौशल उन्नयन विकास कार्यक्रम योजनांतर्गत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु नियम/शर्ते

1– प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण ट्रेड का पाठ्यक्रम तैयार करके प्रशिक्षण देना होगा।

2– संस्था का एनएसडीसी (नेशनल स्किल डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन) में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

3– संस्था का विगत 3 वर्षों का औसत रूप से एक वर्ष का एक करोड़ रुपये का टर्नओवर होना आवश्यक है।

4– ऑनलाईन आवेदन फार्म डाउनलोड करने पर आवेदन के साथ आवेदन शुल्क की राशि रू. 1000/– (अक्षरी राशि रू. एक हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल के नाम संलग्न करना होगा।

5– आवेदन प्रपत्र के साथ धरोहर राशि 50,000/– (अक्षरी राशि रू. पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के नाम से संलग्न करना होगा।

6– प्रशिक्षण कार्यक्रम एनएसक्यूएफ (नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क) या अन्य राष्ट्रीय स्तर के मानक के मापदण्डों का पालन करते हुए किये जाएंगे।

7– प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थाओं को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिये निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क दरों अनुसार भुगतान किया जावेगा।

8– प्रशिक्षणार्थियों का चयन एवं ट्रेड का अनुमोदन जिला स्तरीय मिशन इकाई से होना अनिवार्य होगा।

9– संस्था के पास कंपनी/शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग से प्लेसमेंट हेतु अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

10– जिन प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थाओं के पास स्वयं का कौशल प्रशिक्षण केन्द्र है, ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

11– चयनित प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्था को प्रत्येक कार्यादेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर अनुबंध पत्र निष्पादित कराया जाना आवश्यक होगा। अनुबंध पत्र निष्पादन पश्चात् ही प्रशिक्षण प्रारंभ किया जावेगा।

12– प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण आवासीय एवं गैर आवासीय रहेगा, किंतु संस्था को प्रशिक्षण के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्थाएं स्वयं करना होगी।

13– प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों एवं रहने के स्थान (होस्टल) की जानकारी प्रशिक्षण के पूर्व जिला प्रभारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवासीय प्रशिक्षण की पूर्व स्वीकृति लिये जाने के पश्चात ही आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा।

14– आवासीय प्रशिक्षण में आवश्यक व्यवस्थाएं संस्था को करनी होगी। जिसका शुल्क शासन के नियमों के अनुरूप दिया जावेगा। प्रशिक्षणार्थियों का आवासीय प्रमाणीकरण बोर्ड के जिला प्रभारी द्वारा कराने

Scanned with CamScanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

के उपरांत ही राशि का भुगतान किया जावेगा। आवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थी का निवास स्थल प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यालय से न्यूनतम 20 किलो मीटर से अधिक होने एवं अन्य जिलों के प्रशिक्षणार्थियों पर ही आवासीय प्रशिक्षण की पात्रता होगी।

15– प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्लेसमेंट/रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश संस्था को करना होगा । इसकी तैयारी प्रशिक्षण अवधि मे करनी होगी।

16– प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थियों के प्लेसमेंट की प्रमाणित सूची जिसमे नियोजन संस्थान का नाम,प्रतिमाह वेतन, नियोजन संस्थान एवं अभ्यार्थियों के सम्पर्क नम्बर उप संचालक कौशल उन्नयन विकास कार्यकम मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध कराना होगा।

17– प्रशिक्षण संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाए प्रशिक्षक, कार्यशाला, मशीनी उपकरण, कच्चे माल एवं अन्य व्यवस्थाएं संस्था को स्वंय के व्यय पर करनी होगी।

18– भारत सरकार प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जे.टी)संस्था से अधिकृत मूल्यांकन संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा मूल्यांकन A,B,C,D ग्रेड में तैयार कर प्रमाण–पत्र अंतिम भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के साथ जमा करना होगा तथा इस पर होना वाला व्यय संस्था को स्वयं वहन करना होगा। डी ग्रेड आने पर संस्था को उस प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण राशि का भुगतान संस्था को नहीं किया जावेंगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में समय समय पर चाही गई जानकारी संस्था द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी।

19– प्रशिक्षण संस्था को भुगतान की जानेवाली प्रशिक्षण शुल्क में से आयकर नियमो के अंतर्गत आवश्यक टीडीएस की राशि प्रशिक्षण शुल्क से विभाग द्वारा काटी जावेंगी।

20– उपस्थिति पंजी में प्रशिक्षणार्थियों का p अंकित नहीं कराया जावें, बल्कि उनके प्रतिदिन हस्ताक्षर कराये जावें, उपस्थिति बायोमेट्रिक भी ली जावें। प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत या इससे अधिक बनाये रखने का दायित्व प्रशिक्षण संस्था का भी होगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के10 दिवस तक निरंतर उपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों का नाम प्रशिक्षण सूची से हटा दिया जावेगा।

21– संस्था द्वारा प्रशिक्षण पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार की जानकारी इस कार्यालय को अगामी एक वर्ष तक प्रत्येक त्रिमाही में प्रस्तुत करनी होगी।

22– प्रशिक्षण स्थल पर थम्ब मशीन,सी.सी.टी.वी कैमरा,काउंसलिंग रूम लेब मशीने एवं औजार उपकरण विद्युत की उपयुक्त व्यवस्था प्राथमिक चिकित्सा ,पेयजल ,शौचालय महिलाओं के लिए पृथक होना आवश्यक है। प्रशिक्षण संचालन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं संस्था को स्वयं के व्यय पर करनी होगी। प्रत्येक 10 प्रशिक्षणार्थियों पर एक योग्यता ट्रेनर रखना होगा।

23– प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के बाहर योजना का नाम, प्रशिक्षण का समय, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या ,प्रशिक्षक एवं संस्था के नाम की जानकारी बैनर/बोर्ड द्वारा प्रकाशित होना अनिवार्य होगा।

24– प्रशिक्षण के दौरान म0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निरीक्षण करने पर प्रशिक्षण संबंधी जानकारी संस्था द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण सत्र में निरीक्षण के समय प्रशिक्षण कियान्वयन नियमानुसार न पाये जाने पर या त्रुटि पाये जाने पर संस्था के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी जिसके लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

25– प्रशिक्षण संस्था को प्रशिक्षण शुल्क की प्रथम किश्त के रूप में 30% राशि प्रशिक्षण प्रारंभ करने के एक सप्ताह पश्चात् दी जावेगी। द्वितीय किश्त 50% राशि प्रशिक्षण पूर्ण होने तथा भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जे.पी.) संस्था से अधिकृत मूल्यांकन संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा मूल्यांकन ग्रेड में तैयार कर प्रमाण पत्र देयक के साथ जमा करना होगा। अंतिम तृतीय किश्त 20% प्रशिक्षणार्थियों का रोजगार प्लेसमेंट होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

26– प्रशिक्षण पश्चात अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 1 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान की जाकर पुनः परीक्षा में शामिल कराने का दायित्व प्रशिक्षण एजेंसी का होगा। इसके लिए पृथक से प्रशिक्षण शुल्क देय नहीं होगा।

27– संस्था द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेज/प्रमाण–पत्र/टी0पी0 नम्बर इत्यादि की सत्यता की जवाबदारी संस्था के अध्यक्ष/सचिव की होगी। बोर्ड कार्यालय को संस्था द्वारा प्रस्तुत जानकारी में किसी भी प्रकार की असत्यता, त्रुटि भ्रांति होने की स्थिति में इसकी पूर्ण जवाबदारी संस्था के अध्यक्ष/सचिव की होगी।

28– म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ चयनित संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण व्यवसाय (ट्रेड) हेतु प्रशिक्षण देने के लिए अनुबंध पत्र निष्पादन करना होगा निष्पादन दिनांक से एक वर्ष का अनुबंध किया जा सकेगा। यदि प्रशिक्षण संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तो का पालन नहीं किया जाता है तो अनुबंध प्रथम पक्षकार द्वारा किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

29– चयनित संस्था यदि अनुबंध की शर्तो के विपरीत योजना के नियमों/निर्देशों के उल्लंघन की दोषी पाई जाती अथवा चयन पात्रता के विरूद्ध यदि कोई तथ्य प्रकाश में आता है जिसके कारण वह पात्रता योग्य नहीं है तो संस्था को जारी कार्यादेश को निरस्त किया जा सकेगा।

30– अन्य आवश्यक शर्ते जो राज्य शासन के निर्देशानुसार होगी।

31– उभय पक्षों के विवाद की स्थिति प्रबंध संचालक म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आर्बिट्रेटर के रूप मे रहेंगे एवं उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। न्यायालयीन प्रकरण में क्षेत्राधिकारी भोपाल न्यायालय रहेगा।

उपरोक्त समस्त नियम एवं शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना अनिवार्य है ऐसा न किए जाने की स्थिति में बोर्ड कार्यालय संस्था एवं संस्था के अध्यक्ष सचिव पर विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

Scanned with CamScanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
74, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय के पास भोपाल
दूरभाष : 0755 2553448, Email ID:-mpkvibskill@gmail.com

प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र

क्र.	विवरण		
1	संस्था का नाम		
2	संस्था के पत्राचार का पूर्ण पता		
3	दूरभाषः–		
	मोबाईलः–		
4	ई–मेल पता		
5	अमानत राशि का विवरणः–	बैंक ड्राफ्ट क्रमांकः– दिनांकः– बैंक का नामः– यदि नगद जमा की गई तो रशीद की मूल प्रति संलग्न करेंः–	
6	एन.एस.डी.सी पंजीयन की जानकारी (छायाप्रति संलग्न करें)	पंजीयन क्र.– जारी दिनांक– वैद्यता दिनांक–	
7	संस्था के प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र कहॉ–कहॉ स्थित हैं		
8	संस्था का पेनकार्ड नम्बर/धारक का नाम		
9	संस्था का किस–किस कंपनी/शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग से प्लेसमेंट हेतु अनुबंध है।		
10	प्रशिक्षण योजनांतर्गत विगत 3 वर्षो में उपलब्ध करायें गये प्रशिक्षण की जानकारी (कार्यादेशों की प्रति एवं पूर्णता का प्रमाण)	2021–22	
		2022–23	
		2023–24	
11	विगत 3 वर्षों में प्रशिक्षण उपरांत उपलब्ध कराये गये प्लेसमेंट की जानकारी (फर्म/कंपनी/शासकीय विभाग/अर्द्धशासकीय विभाग)	2021–22	
		2022–23	
		2023–24	
12	संस्था द्वारा प्रस्तावित ट्रेड जिसमें संस्था प्रशिक्षण देना चाहती है तथा प्रस्तावित ट्रेड।	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
13	प्रशिक्षण केन्द्र के स्वामित्व का प्रमाण पत्र/किरायानामा		
14	संस्था की चार्टड एकाउन्टेन्ट से विगत 3 वर्षो की ऑडिट बेलेंसशीट एवं सीए का प्रमाण पत्र	2021–22	
		2022–23	
		2023–24	
15	संस्था का विगत 3 वर्षो का टर्नओवर वर्षवार पृथक–पृथक (सीए का प्रमाण पत्र)	2021–22	
		2022–23	
		2023–24	

Scanned with CamScanner

Downloaded from WWW.SKILLSPEDIA.IN

16	संस्था का विगत 3 वर्षो का आयकर का विवरण वर्षवार पृथक–पृथक	2021–22	
		2022–23	
		2023–24	
17	संस्था के पास प्रशिक्षण हेतु वांछित विषय की कोचिंग हेतु पर्याप्त प्रशिक्षित फेकल्टी उपलब्धता की जानकारी।		
18	प्रशिक्षण संस्था प्रतिदिन एक पारी (चार घण्टे की एक पारी) में कितने प्रशिक्षणार्थियों को पशिक्षण देने हेतु सक्षम है।		
19	संस्था के पास प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेडों के आवश्यक उपकरण पर्याप्त संख्या में उपलब्धता की जानकारी।		
20	संस्था के प्रशिक्षण केन्द्र पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरा उपलब्धता की जानकारी।		
21	बायोमेट्रिक (थम्ब मशीन) उपलब्धता की जानकारी।		
22	प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के मान से आवश्यक अध्यापन कक्ष की उपलब्धता की जानकारी।		
23	संस्था के पास अन्य अधोसंरचना जैसे स्वच्छपेय जल, पर्याप्त बिजली, शौचालय आदि उपलब्धता की जानकारी।		
24	यदि संस्था आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती है जो प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु क्या संसाधन उपलब्धता यदि भवन स्वयं का है तो स्वामित्व का प्रमाण पत्र किराये का तो किरायानामा।		
25	संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम, पता, पद, मोवाईल नम्बर की जानकारी जो अनुबंध पत्र एवं अन्य शासकीय कार्यवाही हेतु अधिकृत हो।		

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पूर्णतः सत्य है, असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को रहेगा।

संस्था प्रभारी

हस्ताक्षर / सील

संलग्नः– दस्तावेज पृष्ठ क. .... से........................तक

Scanned with CamScanner